न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 4099–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण कमांक 100/2011–12/अपील

1–हरनाम सिंह यादव पुत्र स्व0श्री दिमानसिंह यादव
2–श्रीमती बटोबाई पुत्री स्व0श्री दिमानसिंह यादव
निवासी ग्राम सिंगवासा तहसील व जिला गुना म0प्र0

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना म0प्रव .....प्रत्यर्थी

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/16 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा कलेक्टर जिला गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिंगवासा स्थित भूमि सर्वे कमांक 288 मिन–2 उनके भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जिसमें से कुछ भूमि गुना–इटावा रेलवे लाईन के लिये अधिग्रहित कर ली गई थी और शेष भूमि रकबा 0.428 हेक्टेयर अनावेदकगण के पास बची थी, जिस पर वे कृषि कार्य कर रहे हैं, परन्तु उक्त भूमि का नक्शे में सुधार नहीं किया गया है, अतः नक्शे में सुधार किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–74/2010–11 दर्ज कर दिनांक 9–8–2011 को आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश से व्यथित

होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–6–2012 को आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 288 में से रकबा 1.359 हेक्टेयर भूमि गुना–इटावा रेलवे लाईन के लिये अधिग्रहित कर ली गई थी । शेष भूमि 0.428 हेक्टेयर बची थी, जिस पर वे कृषि कार्य कर रहे हैं, परन्तु नक्शे में संशोधन नहीं किया गया है, अतः कलेक्टर को संशोधन करना चाहिये था । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा संभावना के आधार पर अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है कि भविष्य में रेलवे को उक्त भूमि की आवश्यकता हो सकती है । यह भी कहा गया कि जब सर्वे नम्बर 288 का सम्पूर्ण रकबा रेलवे द्वारा अधिग्रहित ही नहीं किया गया है तब उस पर रेलवे का नाम दर्ज करने में राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटि की गई है, अतः उसे सुधारने का दायित्व भी राजस्व अधिकारियों का ही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है। उनके द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि रेलवे विभाग की होने से अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और कलेक्टर जिला गुना के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि रेलवे विभाग द्वारा रेल लाईन के लिये वर्ष 1986 में अधिग्रहीत की गई है और अपीलार्थीगण द्वारा लगभग 24 वर्ष पश्चात् अत्यधिक विलम्ब से नक्शा सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । वर्तमान

में प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में रेलवे विभाग के नाम दर्ज है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यदि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि शेष है, तो वह बची हुई भूमि का सीमांकन करा सकता है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2012 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर